म0प्र0राज्य सूचना आयोग, भोपाल

अपील क्रमांक ए–31 / रासूआ / 28–1 / खण्डवा / 2006

श्री संदीप जोशी — अपीलकर्ता
संवाददाता जैन टी0व्ही0
70 लवकुश नगर,
खण्डवा (म0प्र0)

विरूद्ध

1. लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय कलेक्ट्रेट पूर्व निमाड़
खण्डवा (म0प्र0)

2. अपीलीय अधिकारी एवं
कलेक्टर
खण्डवा(म0प्र0)

आदेश

(दिनॉक 23 मार्च, 2006)

श्री संदीप जोशी (अपीलकर्ता) संवाददाता, जैन टी0व्ही0 ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) की धारा 19 (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलकर्ता ने एक आवेदन पत्र खनिज अधिकारी, जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा के कार्यालय में इस आशय का दिया था कि जिले की तमाम खदानों की श्रेणीवार सूची, मय ठेकेदारों के नाम सहित उपलब्ध कराई जाए तथा उनको आवंटित रकबा एवं शर्तो की जानकारी दी जाए ।

2. यह आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2005 को प्रेषित किया गया था । अधिनियम में निर्धारित 30 दिन की अवधि व्यतीत होने के उपरांत अपीलकर्ता ने प्रथम अपील, अपीलीय अधिकारी कलेक्टर जिला खण्डवा को की थी । इस अपील प्रस्तुत करने के पश्चात उन्हें खनिज अधिकारी से इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ था कि नियमानुसार शुल्क जमा कराकर रिकार्ड का अवलोकन कर सकते हैं । अपीलकर्ता का कहना है कि उसने वांछित जानकारी की सत्यापित प्रति चाही थी । इस प्रकरण में दिनांक 27.12.05 को प्रथम अपीलीय अधिकारी कलेक्टर खण्डवा ने सुनवाई की थी जिसमें

अपीलकर्ता उपस्थित थे । प्रकरण में सुनवाई के पश्चात प्रथम अपीलीय अधिकारी ने निर्णय दिया था कि वांछित जानकारी निर्धारित शुल्क लेकर दिनांक 3.1.06 को अवलोकन के लिए उपलब्ध करा दी जायेगी । अवलोकन पश्चात जिस जानकारी की उन्हें सत्यापित प्रति चाहिए, वह जानकारी अपीलकर्ता को निर्धारित शुल्क लेकर प्रदान की जा सकती है । इन निर्देशों के साथ ही अपीलकर्ता की अपील का निराकरण कर दिया गया था। अपीलकर्ता का यह कहना है कि इन निर्देशों के उपरांत भी खनिज अधिकारी ने जानकारी देने में असमर्थता बताई और सूचना देने से मना कर दिया । यह पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 27.12.05 को लिखा गया था । अपीलकर्ता का कहना है कि जब इस प्रकार निर्णय प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा दिया गया था तो खनिज अधिकारी ने अधिनियम की धारा 8 का उपयोग करके, उन्हें जानकारी देने से क्यों वंचित किया ?

3. इस प्रकरण में मौखिक सुनवाई के लिए दिनांक 22.3.06 को इन्दौर में रखा गया था जिसमें अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हुए । प्रथम अपीलीय अधिकारी कलेक्टर खण्डवा एवं लोक सूचना अधिकारी श्रीमती अलका श्रीवास्तव उपस्थित हुईं। सुनवाइ के समय लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी ने यह बताया कि रिकार्ड का अवलोकन कराने के संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । अपीलकर्ता भी इस व्यवस्था से सन्तुष्ट थे । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने यह भी बताया कि रिकार्ड का अवलोकन कराने के उपरांत यदि किसी प्रपत्र की सत्यापित प्रति अपीलकर्ता चाहेंगे, तो वह उन्हें निर्धारित शुल्क देने के बाद प्रदान कर दी जायेगी । अपीलकर्ता इस व्यवस्था से भी सन्तुष्ट हैं ।

4. इस प्रकरण में अपीलकर्ता के द्वारा जो विषय वस्तु उठाए गए हैं, उसका निराकरण हो गया है, इसलिए किसी प्रकार के आदेश की आवश्यकता नहीं है । लेकिन यह निर्देश दिया जाना आवश्यक है कि यदि जिस किसी रिकार्ड अथवा सूचना की जानकारी अपीलकर्ता को चाहिए और यदि उसका संबंध तृतीय पक्ष से हो तो लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करें ।

5. उपरोक्त निर्देशों के साथ यह अपील समाप्त की जाती है ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त

23 मार्च, 2006